

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्रमांक:एफ4()परावि/पी.सी./आदर्शग्राम/06/11/2007 जयपुर,दिनांक: 25-06-2007
प्रशासनिक स्वीकृति
(नये कार्यों के लिए)

"दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना" के अन्तर्गत जिला परिषदों के पत्रांक 552 दिनांक 14.5.2007 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वर्ष 2007-08 में सम्पादित काराये जाने वाले निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(अ) जिला:- हनुमानगढ

(ब) गांव का नाम:- गोगामेडी पंचायत का नाम:- गोगामेडी पंचायत समिति:- नोहर

(स) गांव के चयन की तिथि 18-1-2007

(राशि रु. लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		
		कुल	DDUAG Y मद से (90%)	दिशा निर्देश के पैरा 2.5 के अनुसार श्रमदान अथवा जन सहयोग (10%)
1	गन्दे पानी की निकासी नाली एवं डिग्गी निर्माण	5.00	4.50	0.50
2	खेल मैदान निर्माण	1.00	0.90	0.10
3	ग्रा.प. घर में पुस्तकालय भवन हेतु भवन निर्माण	1.50	1.35	0.15
4	बस स्टैण्ड	4.00	3.60	0.40
5	सस्कृत रा.उ.प्रा.वि. में चार दीवारी	1.00	0.90	0.10
6	रा.उ.प्रा.वि. में भवन विस्तार	2.00	1.80	0.20
7	रा.प्रा.वि. 7 जी.जी.एम. चार दीवारी एवं पानी की टंकी निर्माण	2.00	1.80	0.20
8	पशु शौड निर्माण	2.00	1.80	0.20
9	आई.ई.सी.	0.50	0.50	-
	योग	19.00	17.15	1.85

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों का पालन किया जायेगा :-

- 1- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जावेगा।
- 2-ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं तथा योजना के प्रावधानों की पालना करते हुये ही कार्य का सम्पादन किया जावेगा।
- 3- आई.ई.सी. गतिविधि का सम्पादन जिला स्तर से निर्धारित एन.जी.ओ. द्वारा किया जावेगा।

(खेमराज)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, हनुमानगढ।
- 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर (हनुमानगढ)।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, गोगामेडी पंचायत समिति, नोहर (हनुमानगढ)।

शासन सचिव एवं आयुक्त